न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **46/2016** अपील (राजस्व)

1. श्री कस्तुरचन्द पिता स्व. श्री नेमीचन्द जी सिंघवी (जैन), निवासी 33/81, नेहरूबाजार, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कान्ता देवी पत्नि स्व. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघवी (जैन), निवासी 33/81, नेहरूबाजार, उदयपुर (राज.)

अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री सुभाष पुत्र श्री भीखम जी खण्डेलवाल, निवासी नाड़ाखाड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार बड़गॉव, भूमिधारक, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1667 तहसीलदार बड़गॉव दिनांक 23.09.16

उपस्थित : श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—27.11.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट कस्तुरचन्द एवं स्व. श्री औंकारलाल जी भण्डारी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बाबत कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 966/6 रकबा साढे चार बिघा जिसके हाल आराजी संख्या 2043, रकबा 0.5500 हैक्टर आराजी संख्या 2044 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल किता दो (2) कुलिया रकबा 0.7500 हैक्टर मौजा बेदला तहसील हाल गिर्वा में स्थित दोनो नये नम्बर

के साथ 0.2222 ऐयर भूमि और चाहिये किन्तु इनके खाते में उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भूमि पर ट्यूबवेल लगा हुआ हैं। कोटड़ी बनी हुई है इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए है तथा बिजली कनेक्शन सिंघवी ऑईल मील अपीलान्ट संख्या 1 के नाम लिया हुआ हैं। उक्त ट्यूबवेल वर्ष 1982 में खुदवाया था तथा वर्षो से भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त चली आ रही हैं। वर्तमान में उड़द की फसल खड़ी रही है जिसे तीन दिवस पूर्व ही अपीलान्ट्स द्वारा काटी जाकर फसल ली गई हैं। उपरोक्त भूमि के पूर्व मालिक श्री मनोहरसिंह जी राव द्वारा अधिकार पत्र पत्नी श्रीमती समुन्दर कुँवर बेवा रघुनाथ सिंह जी राजपूत को निष्पादित कर रखा था। उक्त अधिकार पत्र के आधार पर राव श्री मनोहरसिंह जी ने दिनांक 19.02.1975 को एक लेख पत्र अपीलान्ट व श्री औंकारलाल जी के पक्ष में उक्त भूमि के बिकावनामे बाबत् लिखा गया। उक्त लिखतम की चरण संख्या 1 व 2 में विक्रय प्रतिफल प्राप्त होना उल्लेखित हैं। यानि दिनांक 19.02.1975 से कब्जा अपीलान्ट का अर्सा कदीम मुत्वातीर चला आ रहा हैं। उक्त श्रीमती समुन्दर कुँवर द्वारा बदयानतीवश भूमि के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अनुचित लाभ हासिल करने के आशय से उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी प्रारम्भ कर दी और पर्दानशीन औरत होने के कारण शान्ति भंग होने, विवाद होने जैसे कई कारण उत्पन्न होने पर वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया और समस्त दशाओ में उक्त भूमि पर कब्जा अपने जीवनकाल में कभी भी समुन्दर कूँवर का नहीं रहा हैं। ऐसी दशा में प्रतिकूल आधिपत्यधारक के आधार पर धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी खातेदारीधारक अधिकारी हो जाने से भूमि खाते दर्ज कराया जाना आदि के विभिन्न तथ्यों अभिलेखो व साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया

जो दिनांक 20.06.2001 को अपीलान्ट संख्या 1 व श्री औंकारलाल जी भण्डारी के पक्ष में निर्णित होकर डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, उदयपुर में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 10.12.2002 को निरस्त की जाकर अपीलान्ट संख्या 1 एवं श्री औंकारलाल जी के पक्ष में निर्णित की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री सुभाष जी खण्डेलवाल की अपील निरस्त की गई हैं। यानि दोनो मूलभूत राजस्व न्यायालयो द्वारा प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित/ डिक्री किये गये है और वर्ष 1974 से पूर्व से उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा बदस्तूर अपीलानट संख्या 1 का रहा और श्री औंकारलाल जी भण्डारी द्वारा अपना निहित सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 को पंजीकृत विक्रय विलेख से हस्तान्तरित किया गया। स्वामित्व, आधिपत्य, पंजीकृत विलेख के आधार पर भूमि दिनांक 22.09.16 तक अपीलान्टगण के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज हैं।

द्वितीय अपील रेस्पोडेंट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई। जिसे खण्डपीठ द्वारा दिनांक 01. 09.16 को स्वीकार किया गया। जबकि भूमि का आधिपत्य कब्जे काश्त एवं अभिलेखिय स्थिती अपीलान्ट के पक्ष में थी। इसके उपरान्त भी उक्त भूमि का भू माफिया गिरोह के सदस्य के रूप में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने यह भूमि दिनांक 22.09.2000 को समुन्दरकॅूवर से नुमाईशी विक्रय पत्र करवाकर क्रय की गई एवं धोखे से नामान्तरकरण भी खुलवा लिया गया। अपीलान्ट को ज्ञान होने पर पुरावलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश से असंतुष्ट होकर रिट याचिका Under article 226

and 227, 14 and 300 (a) the constitution of india एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, भू–राजस्व अधिनियम, मयाद अधिनियम आदि तथ्यात्मक व वैधानिक पहलूओं पर प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई की जाकर दिनांक 29.09.16 को दोहराने सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने विपक्षी जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 हैं जिसके अधिवक्ता द्वारा स्वीकारोक्ति कर अंडर टेकिंग न्यायालय के समक्ष दी गई की प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही आगामी सुनवाई दिनांक 04.10.16 तक नहीं की जावेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना आगामी न्यायालय आदेश तक नहीं की जावेगी। परन्तु सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए न्यायिक कर्तव्यो व दायित्वो से परे न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय आदेश की परोक्ष रूप से अवहेलना कर दिनांक 26.09.16 को पूर्व की दिनांक 23.09.16 में नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। जो रेस्पोडेंट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहूॅचाने एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं न्याय में बाधा उत्पन्न करने की कुचेष्टा इंगीत होती हैं। जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार वैधानिक कार्यवाही विचारणीय रहते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये एवं नामान्तरकरण प्रक्रिया में भी विधिक कार्यवाही नहीं कर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये चुनौतीग्रस्त आदेश विधि के विपरीत पारित कर दिया गया जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1667 दिनांक 23.09.16 ग्राम बेदला का खारीज फरमाते हुए पूर्ववत अभिलेख की स्थिति रखी जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व मालिक श्री मनोहरसिंह जी राव के अधिकारपत्रधारी श्रीमती समुन्दरकुॅवर से दिनांक 19. 02.75 को श्री उंकारलाल भण्डारी के पक्ष में बिकावनामे बाबत लिखा गया। जिसे बाद में धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी खातेदारीधारक अधिकारी हो जाने से भूमि खाते दर्ज कराया जाना आदि के विभिन्न तथ्यो अभिलेखो व साक्ष्य के आधार पर वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.06.01 को उंकारलाल भण्डारी के पक्ष में निर्णित हुआ। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय से दिनांक 10.12.02 को उंकारलाल के पक्ष में निर्णित हुई। जिसके आधार पर भूमि उंकारलाल भण्डारी के नाम पर दर्ज हुई। उंकारलाल जी भण्डारी द्वारा अपना निहीत सम्पूर्ण हिस्सा पंजीकृत विक्रय विलेख से अपीलान्ट संख्या 2 को हस्तान्तरित किया गया। जो दिनांक 22.09.16 तक अपीलान्ट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। रेस्पोडेंट द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जो खण्डपीठ द्वारा दिनांक 01.09.16 को इस आधार पर स्वीकार की गई कि प्रतिकुल आधिपत्य अनुमति से आधिपत्य होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अपास्त फरमाया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर रिट याचिका Under article 226 and 227, 14 and 300 (a) the

constitution of india एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, भू–राजस्व अधिनियम, मयाद अधिनियम आदि तथ्यात्मक व वैधानिक पहलूओं पर प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई की जाकर दिनांक 29.09.16 को दोहराने सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने विपक्षी जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 हैं जिसके अधिवक्ता द्वारा स्वीकारोक्ति कर अंडर टेकिंग न्यायालय के समक्ष दी गई की प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही आगामी सुनवाई दिनांक 04.10.16 तक नहीं की जावेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना आगामी न्यायालय आदेश तक नहीं की जावेगी। परन्तु सुनियाजित षड्यंत्र रचते हुए न्यायिक कर्तव्यो व दायित्वो से परे न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय आदेश की परोक्ष रूप से अवहेलना कर दिनांक 26.09.16 को पूर्व की दिनांक 23. 09.16 में नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। जो रेस्पोडेंट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहॅूचाने एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं न्याय में बाधा उत्पन्न करने की कुचेष्टा इंगीत होती हैं। जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार वैधानिक कार्यवाही विचारणीय रहते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये एवं नामान्तरकरण प्रक्रिया में भी विधिक कार्यवाही नहीं कर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये चुनौतीग्रस्त आदेश विधि के विपरीत पारित कर दिया गया जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज योग्य हैं। सामान्य रूप से न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी आदेश की अपील अवधि निर्धारित है तो अपील अवधि तक आदेश की इन्तजार की जाती है और अपील अवधि परे होने पर ही पारित आदेश की पालना की जाती हैं। हस्तगत प्रकरण में रिट याचिका प्रस्तुतीकरण की जानकारी के उपरान्त भी रेस्पोडेंट को अवैध लाभ पहुॅचाने की दृष्टी से चुनौतिग्रस्त आदेश पारित

कर दिया गया। अतः पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से तत्काल प्रभाव से खारीज योग्य हैं। जिसे खारीज किये जाने के आदेश प्रदान कर अभिलेख में पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के निर्देश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत दिनांक 23.09.16 को किया गया हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत रीट याचिका 10959/16 में दिनांक 02.12.16 को आदेश पारित किया गया हैं। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 22.09.16 को कोई अन्डरटेकींग प्रस्तुत करते हुए कोई स्वीकारोक्ति की गई हो और ऐसा कोई अभिवचन किया गया हो कि दिनांक 04.10.16 तक कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। नाही अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे यह ज्ञात हो कि अधिनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवा दिया गया हो कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश के विरूद्ध रिट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलीय नामान्तरकरण पारित किया गया है वह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की डिक्री एवं निर्णय के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की वैधानिक चुक नहीं की गई हैं। नाही कोई अनियमितता की गई हैं नाही रेस्पोडेंट संख्या 1 को अवैध लाभ पहूॅचाने की दृष्टी से ऐसा कृत्य किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने

न्यायिक कर्तव्यो का पालन किया गया हैं। जो विधिनुकुल हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित नामान्तरकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश एवं डिक्री पालना में खोला गया हैं। जिस दिवस को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उस दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय के पास में ऐसा कोई दस्तावेज या रिट की प्रति उपलब्ध नहीं रही जिससे अधिनस्थ न्यायालय को यह ज्ञात हो कि प्रकरण से संबंधित रिट अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। जो कथन अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो में किये गये है उनके संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित होता हो कि माननीय उच्च न्यायालय में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.09.16 को स्वीकारोक्ति कर अंडरटेकिंग न्यायालय के समक्ष दी गई हैं कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही आगामी सुनवाई दिनांक 04.10.16 तक नहीं की जावेगी। यदि वर्तमान में अपीलीय नामान्तरकरण में किसी प्रकार के आदेश प्रदान किये भी जाते है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.16 की अवज्ञा होगी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर